न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

म्यूटेशन अपील संख्या : 30/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/59

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1 अनिता उर्फ अनसीदेवी पत्नि मांगीलाल डांगी 2. मांगीलाल पुत्र दुदाराम डांगी जातिगण मेघवाल निवासीगण अम्बेडकर कॉलोनी, बायोसा मंदिर के पास,बाली तहसील बाली जिला पाली		1. मृत वागा वल्द श्री कसाजी के विधिक वारिसानः– • 1/1वन्दना पत्नी वागा • 1/2 मंगलेश पुत्र वागा • 1/3 नारायण पुत्र वागा जातिगण घांची निवासीगण दांतीवाडा तह. बाली जिला पाली 2. गंगासिंह वल्द शेरसिंह, जाति राजपुत निवासी भोमियों का बास,प्रताप चौक के पास बाली, तहसील बाली,जिला पाली 3. चक्रवतीसिंह वल्द नाथुसिंह जाति राजपुत निवासी भोमियों का बास प्रताप चौक के पास बाली, तहसील बाली जिला पाली 4. विनोदसिंह वल्द पन्नेसिंह जाति राव निवासी भीटवाडा तहसील–बाली जिला पाली राज. 5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार,बाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

–: निर्णयः–

दिनांकः 14.02.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया अनिता उर्फ अनसीदेवी पत्नी मांगीलाल एवं मांगीलाल पुत्र दुदाराम डांगी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)नियम, 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन के पूर्वज वागा वल्द कसाजी ने श्रीमान उपखंड अधिकारी बाली को एक आवेदन दिनांक 30 जनवरी 1983 को प्रस्तुत कर काश्त करने हेतु निवेदन किया जिस पर आवंटन कमेटी की सिफारिश में दिनांक 30 जनवरी 1983 को बमुकाम भीटवाडा में आवंटन कमेटी की बैठक में है। प्रार्थीगण संख्या एक से तीन के पूर्वज वागा पुत्र कसा को ग्राम दांतीवाडा के खसरा न. 298/2, 298/3 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा व 10 बिस्वा यानि कुल रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा गैर मुमकीन भाखर से बारानी तृतीय दर्ज कर आवंटन करने की सिफारिश की गई। परन्तु आवंटन फॉर्म 03 के पेज संख्या 04 पर दर्ज कार्यालय परगना अधिकारी व नीचे खाली स्थान छोड़कर "उक्त विवरण के अनुसार भूमि आवंटन की जाती है" के बीच अप्रार्थी को आवंटित की गई। भूमि के खसरा नम्बरान एवं रकबा दर्ज ही नहीं है फिर भी तथाकथित आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 237 दिनांक 17 जून 1983 स्वीकृत कर प्रार्थी को गैर खातेदारी दर्ज किया गया। आवंटन से कभी भी आवंटी का कब्जा काश्त नहीं रहा और न ही आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना की गई। अतः आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उक्त आवंटित भूमि के चिपती हुई खसरा न. 547 की सरकारी सिवायचक भूमि स्थित है जिसमें से रकबा 1.6000 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी अनिता का सम्वत् 2065 से लगातार आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रश्नगत आवंटन आदेश आवंटन कमेटी ने ऊपर दर्ज अनुसार अपने अधिकारिता से परे जाकर गैर मुमकीन पहाड़ की भूमि की किस्म परिवर्तित कर पारित किया है इसके अलावा मूल आवंटी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा आवंटी ने आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया है। अतः ऐसा अधिकारिता विहिन एवं Null And void आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। अतः प्रश्नगत आवंटन निरस्त करने योग्य होने से निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटीस जारी किए गए। प्रकरण पर अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा अपनी–अपनी बहस प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली, जिला-पाली

CamScanner

हुए निवेदन किया कि आवंटन आवेदन एवं आवंटन आदेश में विभिन्न कॉलम खाली पड़े हुए है, शर्तो की पालना नहीं की गई है, कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः आवंटन निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र म्याद बाहर है, प्रार्थीगण की भूमि खसरा न. 624/2 है जबकि हमारे आवंटित भूमि खसरा न. 547/2 है। प्रार्थी द्वारा करवाये गए विकास कार्य हमारी भूमि में नहीं आता है नियमानुसार आवंटन किया गया है, आवंटन फॉर्म भी प्री प्रिंटेड़ है। प्रार्थी हमारी आवंटित भूमि को हड़पने की नियत से आया है, प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं प्रस्तुत बहस पर गहनता से मनन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहूंचें कि प्रकरण तरमीम शुद्धि एवं सीमा विवाद का है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है प्रार्थीगण अपने तरमीम शुद्धि एवं सीमा विवाद हेतु सक्षम न्यायालय से इमदाद प्राप्त कर सकता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

14/2/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

R.A.S.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner